



सत्यमेव जयते



IN-UK19559782139694W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹100

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK19559782139694W
Certificate Issued Date	: 06-May-2024 02:51 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1200604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120060445897599193828W
Purchased by	: ROHINI PANDEY
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAJARAM
Second Party	: ROHINI PANDEY
Stamp Duty Paid By	: ROHINI PANDEY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून

राजाराम

(Signature)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विक्रय अनुबंध पत्र

श्री राजा राम पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम चकतुनवाला, देहरादून।

.....प्रथमपक्ष

एवंम्

1. श्री अजय पाल, 2. श्री विजय पाल पुत्रगण स्व० श्री गंगाराम एवं 3. श्रीमती
शोभा रानी पत्नी स्व० श्री गंगाराम निवासीगण ग्राम चकतुनवाला, देहरादून।

.....सहमतिकर्तागण

एवंम्

रोहिणी पाण्डे पुत्री श्री बिरेंद्र पाण्डे निवासी 38 डी०ए०वी० कालेज रोड, करनपुर,
देहरादून।

.....द्वितीयपक्ष

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया।

विदित हो कि सूची में वर्णित भूमि जो कि प्रथमपक्ष एवं सहमतिकर्तागण की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है तथा सूची में वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रथमपक्ष व सहमतिकर्तागण का नाम बतौर मालिक सहस्वामी दर्ज व अंकित है। इस प्रकार प्रथमपक्ष को अपने हिस्से की भूमि जो कि सूची अनुबन्धित भूमि में दर्शाई गई है, की बावत विक्रय अनुबन्ध पत्र तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि को कय करना चाहती है तथा प्रथमपक्ष अपने हिस्से की भूमि विक्रय करना चाहते हैं, जिसके बाबत निम्न षर्तें तय पायी गयी हैं, जिसका पालन दोनों पक्षकार उनके हित प्रतिनिधि, वारिसान, मालिक, स्वामी, एजेन्ट आदि करेंगे :-

1. यह कि पक्षकारों की सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का कुल सौदा मु० 18,00,000/- रुपये (अठारह लाख रुपये) में तय पाया गया है, जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार है।

यह कि द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को बतौर बयाना मु० 20,000/- रुपये नकद रूप से अदा कर दिये हैं, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष सहमतिकर्तागण व गवाहन के सामने स्वीकार करते हैं तथा बकाया धनराशि विक्रय पत्र निष्पादन के समय द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को अदा की जायेगी।

3. यह कि बैनामा पंजीकृत कराने की तिथि आज दिनांक से अगले 03 माह तक तय पायी गयी है, पक्षकारों की आपसी सहमती से विक्रय पत्र निष्पादन की तिथि घटायी-बढ़ायी जा सकती है तथा पंजीकृत बैनामों में सहमतिकर्तागण भी बतौर सहमतिकर्तागण हस्ताक्षर करेंगे जिसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है।

4. यह कि सूची में वर्णित भूमि को कय करने के लिए द्वितीयपक्ष द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृत करवाया जा रहा है, परन्तु यदि दस्तावेजों की कमी के कारण या किसी भी अन्य कारणवश बैंक से ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है तो उस दशा में द्वितीयपक्ष द्वारा प्रदान की गई बयाना धनराशि प्रथमपक्ष द्वारा वापिस

राजा राम

पण्डे



कर दी जायेगी एवं बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हो जाता है तो रजिस्ट्री करा ली जायेगी।

5. यह कि उक्त अनुबन्धित भूमि की बैनामा पंजीकृत करवाने का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6. यह कि अनुबन्धित भूमि पाक एवं साफ हालत में विक्रय की जा रही है तथा उक्त सम्पत्ति कहीं भी बय, रहन, अथवा बन्धक नहीं रखी गयी है तथा उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा प्रथमपक्ष ने पूर्व में सूची में वर्णित भूमि की बाबत किसी अन्य के साथ कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित नहीं किया हुआ है यदि ऐसा पाया जाता है तो उसकी समस्त हर्ज खर्च की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की स्वयं की होगी।
7. यह कि अनुबन्धित भूमि के बाबत द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह स्वयं अपने नाम अथवा अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम विक्रय अनुबन्ध पत्र एवं रसीद जारी करें तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करें इसमें प्रथमपक्ष एवं सहमतिकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, आदि आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।

विवरण अनुबन्धित भूमि

भूमिखरी भूमि खसरा सं० 708 (नया खसरा सं० 1119) में से प्रथमपक्ष के अपने क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल 91 वर्गगज स्थित ग्राम चकतुनवाला, परगना परवादून, जिला व तहसील देहरादून जिसकी सीमा व नाप निम्नानुसार है :-

- सम्पत्ति श्री अशोक नेगी, नाप 45 फीट
- सम्पत्ति अन्य, नाप 46 फीट
- सम्पत्ति श्री अशोक पाल, नाप 26 फीट
- 12 फीट चौड़ी सड़क, नाप 10 फीट

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 07.05.2024 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

राजाराम
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

① Har Pal
हस्ताक्षर सहमतिकर्तागण

R Pandey
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

विमला

② शेखारानी
③ Vpal

Sandey
गवाह-2

गवाह-1

ATTESTED
NEELAM JOSHI
Advocate & Notary
Reg. No. 32(01)/2023
Chamber No. 8,
Near Library, 1st Floor
Court Compound, Dehradun

7/5/24



भारत सरकार
Government of India



रोहिणी पांडे
Rohini Pandey
जन्म तिथि/DOB: 29/03/1999
महिला/ FEMALE



5220 4476 0271

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:

D/O: Birendera Pandey, House
No-38, D A V Collage Road,
Karanpur, Dehradun, Dehradun, उत्तराखंड - 248001

पता:

संबोधित: बिरेंद्र पांडे, हाउस न-38, डी ए वी
कॉलेज रोड, करनपुर, देहरादून, देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

5220 4476 0271

[Handwritten signature]

भारत सरकार
Government of India

राजाराम
Rajaram
पिता : टीका राम
Father : Tika Ram
जन्म तिथि / DOB : 22/01/1962
पुरुष / Male

6252 8797 6115

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
- , चकतूनवाला, चकतौवाला ग्रांट,
तुन्वाला, देहरादून, उत्तराखंड,
248005

Address:
- , CHAKTUNWALA,
Chaktonwala Grant, Tunwala,
Dehradun, Uttarakhand, 248005

6252 8797 6115

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

राजाराम